Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.

SUM/218/2022

FIRST ORDER SHEET

THE COURT: न्यायालयः– अभिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद, जिला–उज्जैन (म.प्र.)

म.प्र.राज्य आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम ...... वि. जोगिन्दर आदि

CIS No. .... / .... / 2022 SUM/218/22
Case No. 994 / 2022
FIR No. 159 / 2022
CNR No.: MP130 5001156 2022 / 2022

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
18/10/22	आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम ...... के द्वारा अपराध क्र. 159/22 धारा 13(1) जुआ एक्ट के अंतर्गत आरोपी/गण (1) जोगिन्दर पिता [illegible] (2) आनन्द सिंह पिता [illegible] (3) गोविन्द पिता [illegible] (4) नानालाल उर्फ [illegible] पिता [illegible] के विरुद्ध के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आरोपी/आरोपीगण के विरुद्ध धारा 190 द्रं.प.सं. के तहत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण केन्द्रीय आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किया जाये। प्रकरण में आरोपी/आरोपीगण को धारा 207 द्रं.प.सं. के तहत अभियोग पत्र व अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो की नकलें प्रदान की गई। प्रकरण में संपत्ति प्रस्तुत/प्रस्तुत नहीं। जप्तशुदा संपत्ति मालखाने में जमा किया जाए। आरोपी/आरोपीगण ने प्रकट किया कि वे अपराध स्वीकार करना चाहते है, उन्हें समझाईश दी गयी कि वह स्वीकृति हेतु बाधित नहीं है, उसे/उन्हें कारावास से भी दण्डित किया जा सकता है। आरोपी/आरोपीगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया। संक्षिप्त विचारण की प्रकिया अपनाई गई। आरोपी/आरोपीगण को धारा 13(1) जुआ एक्ट ...... के अंतर्गत अपराध विवरण पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्त/आरोपीगण ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया। स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 13(1) जुआ एक्ट अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया गया। निर्णय पृथक से समरी शीट पर घोषित किया गया। निर्णयआरोपी/आरोपीगण (1) जोगिन्दर (2) आनन्द सिंह (3) गोविन्द (4) नानालाल उर्फ [illegible] को धारा 13 जुआ एक्ट ...... के आरोप के लिए कमषः रूपये 100-100/- के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति नगदी 1060/- रु. [illegible] व 52 ताश पत्ते [illegible] प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार भिजवाया जाये। अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	गोविन्द [illegible signature] [illegible signature] [illegible signature]

Scanned with CamScanner

Date of order or proceeding	
	पुनश्चः– अभियुक्तगण द्वारा अर्थदंड की राशि 100-100/— रूपये रसीद बुक कमांक (1) भा.रु.- 0070/11/22/015904 (2) 0070/10/22/015925 (3) 0070/10/22/015916 (4) 0070/10-22/015966 सीरियल कमांक .... में जमा की गई। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर उसे छोड़ा गया। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार प्रेषित किया जाये। अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खाचरौद, जिला–उज्जैन म.प्र

Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax Payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1896

In the court of Magistrate. **Abhijeet Singh J.M.F.C.Class.**

Case No.............. of .... Complaint or report made on ....

Name and address of the complainant आरक्षी केन्द्र, खिलचीपुर

Name, parentage, Caste and address of accused

(1) जोगिन्दर पिता प्रतिम सिंह जाति कुमावत उम्र 35 वर्ष
(2) आनंद सिंह पिता भारत सिंह राजपूत उम्र 36 वर्ष
(3) गोविंद पिता ओमप्रकाश उम्र 32 वर्ष
(4) मांगीलाल उर्फ छल्ला पिता रामगोपाल जाति उम्र 38 वर्ष
निवासी खिलचीपुर

The offence complained of, and date of. Its alleged commission

01— आप अभियुक्त ने दिनांक 26.04.22 को समय 12:30 बजे या उसके लगभग स्थान नागदेव बाबा मंदिर के पीछे खिलचीपुर पर जुआ खेलते हुये पाये गये जो कि **धारा 13 (1) सार्वजनिक द्युत अधिनियम** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any).

अभिवाक:— अपराध स्वीकार है

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause (e) clause (f) or clause (g), og Sub-section (I) of Section 260 the Value of the property in respect of which the offence has beeb committed.

Scanned with CamScanner

//निर्णय//

(आज दिनांक 18.10.22 को घोषित)

01– आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा **धारा 13 (1) सार्वजनिक द्युत अधिनियम** के अंतर्गत अभियोगपत्र पेश किया गया।

02– प्रकरण में आरोपीगण को **धारा 13 (1) सार्वजनिक द्युत अधिनियम** के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उन्हें पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदानुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

03– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं सहपत्रों तथा आरोपी द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को **धारा 13 (1) सार्वजनिक द्युत अधिनियम** के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

04– प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को धारा 3 व 4 परीविक्षा अधिनियिम के अंतर्गत परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त अपराध साधारण प्रकृति का अपराध है, अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को कारावास से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है ।

05– अतः आरोपीगण को **धारा 13 (1) सार्वजनिक द्युत अधिनियम** के आरोप में प्रत्येक 100-100/-रूपये के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10 दिवस का के पृथक से साधारण कारावास से दंडित किया जाता है ।

06– प्रकरण में जप्ताशुदा संपत्ति 1060/- रूपए राजकीय कोषालय में विधिवत् रूप से जमा किए जाए/अन्य सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित।

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

Scanned with CamScanner